BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 30 मार्च 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र के 03 आरोपियों को 03-03 वर्ष का कारावास व 2,000-2,000/-रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1-सतपाल उर्फ पप्पू पुत्र खेमचन्द 2-महेश उर्फ लाला पुत्र खेमचन्द 3-जितेन्द्र पुत्र जिले सिंह निवासीगण शफीनगर थाना अहार जनपद बुलन्दशहर को वर्ष-2013 में थाना अहार पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 09.10.2013 को थाना अहार पर क्रमशः मुअसं-55/13 धारा-25/27 आर्म्स एक्ट, मुअसं 56/13 धारा 25 आर्म्स एक्ट व मुअसं 57/13 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 25.11.2013 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इन अभियोगो को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 03 गवाह परिक्षित हुए। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 30.03.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सतपाल उर्फ पप्पू, महेश उर्फ लाला व जितेन्द्र को 03-03 वर्ष का कारावास व 2,000-2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।**अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री अजीत कुमार सक्सैना का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर